फर्द अहकाम

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

सीताराम बनाम भगवानसहाय वगै0

किस्म मुकदमा– दावा उद्घोषणा इन्द्राज दुरूस्त एवं स्थायी निषे0 मु0नं0– 211/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.05.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय प्रार्थना पत्र अ0धा0 आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 हेतु पेश हुई। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण का गौर किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया वादीगण द्वारा पेश वादपत्र के पैरा संख्या 5 में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी भूमि में दिनांक 04.07.2023 को हाथों मे फावडी लाठी आदि लेकर वादी की भूमि में नीव खोदना एवं वादीगण द्वारा मना करने पर जान से मारने को आमादा होना बताया है और दिनांक 04.07.2023 को वाद कारण बताते हुए वादपत्र पेश किया गया है। लेकिन प्रतिवाादी संख्या 2, 4, 5, 6 की मृत्यू दावा दायर करने से कई वर्षो पूर्व ही हो चुकी है इसलिए दावा वादीगण चलने योग्य ही नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 एवं सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार कर दावा वादीगण इसी स्तर पर खारिज किया जावे। वादी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जवाब के तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया गया कि प्रतिवादीगण बाहर निवास करते है इसलिए वादीगण को उनको बारे में यह जानकारी नहीं हुई कि वो फौत हो गए है इसलिए वादीगण द्वारा सदभावी रूप से प्रतिवादीगण के जीवित होना विश्वास कर उनके खिलाफ दावा पेश किया गया है। ऐसी स्थिति में मृतक प्रतिवादीगण संख्या 2, 4, 5, 6 के वारिसान को पक्षकार बनाया जा सकता है जिसके संबंध में वादीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष पृथक से प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है। तथा वादपत्र के पैरा संख्या 5 में प्रतिवादीगण संख्या 1 एवं 3 के स्थान पर केवल प्रतिवादीगण अंकित हो जाना लिपिकीय भूल है जो न्यायहित में क्षमायोग्य है। इसलिए प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 खारिज की जावे। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस का मनन किया गया। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय में वाद दायर करने से पूर्व ही प्रतिवादीगण संख्या 2, 4, 5, 6 फौत हो चुके थे तथा वादीगण द्वारा पेश वादपत्र में वादकारण प्रतिवादीगण द्वारा होना अंकित किया है। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय इस विनम्र मत पर है कि वादीगण का वादपत्र न्यायालय में चलने योग्य नहीं है इसलिए प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं सपठित धारा 151 जा0दी0 स्वीकार कर दावा वादीगण खारिज किया जाता है। उपरोक्तानुसार डिक्री जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी सिकराय (दौसा)	